भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2446
15.12.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक की स्थापना

2446. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह मानती है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना-मंजूरी प्राधिकरणों और निगरानी एजेंसियों के कामकाज के कारण पर्यावरण नियामक ढांचे में नियामक कब्जे और हितों के टकराव का जोखिम बढ़ गया है;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस प्रणालीगत समस्या के समाधान के लिए कौन से संस्थागत सुधारों या पुनर्गठन पर विचार कर रही है;
(ग) क्या सरकार लाफार्ज निर्णय (2011) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक (एनईआर) की स्थापना पर भी विचार कर रही है;
(घ) यदि हाँ, तो इसकी प्रस्तावित अवसंरचना, अधिकार क्षेत्र और जवाबदेही तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) की क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और मानव संसाधन पर्याप्तता का स्वतंत्र आकलन किया है; और
(च) यदि हाँ, तो चिह्नित की गई कमियों और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण मंजूरियाँ (ईसी) केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा और राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) द्वारा, यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाती हैं। ये मंजूरियाँ केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) और राज्य स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर प्रदान की जाती हैं, जिनमें स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के बाद की जाती है कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का कोई टकराव न हो। पर्यावरण मंजूरियों (ईसी) की निगरानी मंत्रालय के 11 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों

तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है, जो ईसी प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने प्रमाणित मानव संसाधन की तृतीय-पक्ष टीम बनाने हेतु पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025 जारी किए हैं। यह टीम केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न पर्यावरण विनियमों और नियमों के तहत पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय सत्यापन/लेखापरीक्षा कार्य करेगी।

(ग) और (घ) जी नहीं। सरकार का मत है कि पर्यावरण मंजूरी हेतु परियोजनाओं के मूल्यांकन की मौजूदा संस्थागत व्यवस्था को जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही, पारदर्शिता, दक्षता में सुधार और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। परियोजनाओं को केंद्र और राज्य स्तर पर गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण मंजूरी दी जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी, ऑनलाइन वेब आधारित पोर्टल 'परिवेश' [सक्रिय और उत्तरदायी सुविधा, इंटरैक्टिव, नैतिक और पर्यावरण अनुकूल एकल-खिड़की केंद्र] की सहायता से संचालित होती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार गठित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी के संबंध में एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने एसईआईएए/एसईएसी अधिकारियों के लिए हैदराबाद स्थित एएससीआई (भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज) जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मंत्रालय समय-समय पर एसईआईएए/एसईएसी के कामकाज की उच्चतम स्तर पर समीक्षा करता है ताकि एसईआईएए/एसईएसी स्तर पर श्रेणी ख परियोजनाओं का प्रभावी और कुशल मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एसईआईएए/एसईएसी के अधिकारियों को पर्यावरण प्रभाव आकलन के क्षेत्र में नवीनतम विकास, सर्वोत्तम रीतियों और समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न संशोधनों, अधिसूचनाओं, कार्यालय ज्ञापनों आदि के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जाता है। साथ ही, एसईआईएए/एसईएसी के अधिकारियों को परिवेश पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं और मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

****